

सिटीजन चार्टर

"परिशिष्ट" 1

क्र.सं.	राजस्व विभाग	विवरण	अंक
56		4.1- राजस्व पुस्तक परिपत्र खण्ड-6 क्रमंक 4 के अनुसार प्राकृतिक प्रकोप से क्षारीयक अंगहानि अथवा मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता दी जानगी।	30
57		4.2- चालू खासरा/खतौनी की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	
58		4.3- चालू नक्शा की प्रतिलिपियों का प्रदाय।	5
59		4.4- भू-आधिकार एवं ऋण पुस्तिका का प्रथम बार प्रदाय।	15
60		4.5- भू-आधिकार एवं ऋण पुस्तिका की द्वितीय प्रतिलिपि (डुप्लीकेट कॉपी) का प्रदाय।	15
61		4.6- वन्य प्राणियों से फसल हानि का भुगतान (राजस्व एवं वन खाते में (अ.) रूपये 30 हजार तक के प्रकरण। (ब) रूपये 50 हजार तक के प्रकरण। (स) रूपये 2 लाख तक के प्रकरण।	45 30
62		4.7- नजूल अनापत्ति प्रमाण-पत्र।	
63		4.8- शीघ्र क्षमता प्रमाण-पत्र।	30
64			30
65			15
66			15
67		4.11- राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत विभिन्न अपदाओं के प्रभावितों के आवेदन दिये जाने पर आर्थिक सहायता दी जानगी।	30
68		4.12- बंटवारा के आदेश के पश्चात नक्शा में बंटवारा/ तरमीम तथा तरमीम पश्चात अक्स नक्शा ए-4 साईज के कागज पर आर्केडक की प्रदाय।	30
69		4.13- भूमि का सीमांकन करना	30
70		4.14- अविवादित नामांतरण करना	30
71		4.15- अविवादित बंटवारा करना	30
		4.16- म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 की धारा 172 के द्वितीय एवं तृतीय परतुक के अनुसार व्यपवर्तन की सूचना प्राप्त होने के उपरांत, संहिता की धारा 59 के अंतर्गत व्यपवर्तन के मामलों में भू-राजस्व का पुन निर्धारण किया जाना	90 30

Mah
अधीक्षक भू-राजस्व
सि.नबरमान (प. नि.)

Pr
US
Ramu